न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमंद (राज0)

पीठासीन न्यायाधीश : अल्का शर्मा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण सं. – 251/2026

(CIS No. 326/2026)

(CNR No. RJRS010008502026)

(प्र.सू.रि.सं. – 162/2009, पुलिस थाना रेलमगरा)

(न्यायालय अति. मुख्य न्या. मजिस्ट्रेट, रेलमगरा के प्र.सं. 10/25 रे.फौ. से संबंधित)

माया उर्फ सीता उर्फ मोहनी पत्नी सुरेशचन्द्र सेन, निवासी रतनपुरा, पुलिस थाना आसिन्द, जिला भीलवाड़ा हाल पुलिस लाइन के पीछे भीलवाड़ा, हाल वर्तमान पति सकरा ठाकुर, निवासी 91 मोटोवास, पुलिस थाना अडालज, जिला गांधीनगर (गुजरात)।

..... प्रार्थीया/अभियुक्ता

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

..... अभियोगी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
(अपराध अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 110, 3(5) भा.न्या.सं.)

उपस्थित :–

1. श्री प्रहलाद शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से।
2. श्री रामलाल जाट, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनाँक : 12.06.2026

1. प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस थाना रेलमगरा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 162/2009 के प्रकरण में सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दिलाई जाकर पत्रावली तलब कर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. बहस के दौरान विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीया/अभियुक्ता का तर्क रहा है कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता को इस प्रकरण में दिनांक 17.05.2026 को गिरफ्तार किया गया, तब से प्रार्थीया/अभियुक्ता निरंतर अभिरक्षा में चल रही है। प्रार्थीया/अभियुक्ता को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता से

अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है जिसके विचारण में लम्बा समय लगेगा। लिहाजा प्रार्थीया/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक की ओर से उक्त तर्कों का पुरजोर विरोध करते हुए प्रकट किया गया कि प्रार्थीया/अभियुक्ता ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर षडयंत्रपूर्वक परिवादी से विवाह कर एवं विवाह के कुछ समय पश्चात् ही उसके रूपये व जेवर हड़प कर फरार हो जाने का आरोप है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के विरुद्ध पूर्व में निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज है :–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या व दायर दिनांक	धारा	विवरण
1.	128/23, दिनांक 04.03.2023	323, 342, 120बी भा.दं.सं.	विचाराधीन
2.	103/23, दिनांक 31.03.2023	.....	विचाराधीन

लिहाजा, प्रार्थीया/अभियक्ता का जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

3. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के सुसगंत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी गोपाललाल ने अभियुक्तगण पूजा उर्फ मैना, सत्यनारायण, वरदीचन्द, मोहनी उर्फ माया, सुरेशचन्द्र के विरुद्ध एक परिवाद न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी अपनी जाति में सगाई व विवाह करना चाहता था इस संबंध में उसने अपने परिचित वरदीचंद को कहा, इस पर अभियुक्त वरदीचंद ने अन्य अभियुक्तगणों से षड़यंत्र कर अभियुक्ता पूजा उर्फ मैना को ब्राह्मण जाति की अविवाहित महिला, अभियुक्ता मोहनी उर्फ माया को मैना की विधवा माता व अभियुक्त सुरेशचन्द्र को मोहनी उर्फ माया का पुत्र होना बताया, जबकि पूजा उर्फ मैना व मोहनी उर्फ माया तथा सुरेशचन्द्र नाई जाति के है। अभियुक्तगण ने षडयंत्रपूर्वक योजना बनाकर अभियुक्ता पूजा उर्फ मैना को ब्राह्मण जाति की अविवाहित कन्या बताकर सगाई तय की व शादी की एवज में 80,000/– रूपये मोहनी उर्फ माया व 30,000/– रूपये सत्यनारायण व 20,000/– रूपये वरदीचंद ने प्राप्त कर लिये व पूजा उर्फ मैना को शादी के पूर्व सोने चांदी के जेवरात चढ़ाने का प्रस्ताव भी प्रार्थी ने स्वीकार व शादी के

4–5 दिन पूर्व उक्त अभियुक्तगण प्रार्थी के गांव सादड़ी आये व उपरोक्त रूपये व जेवरात अभियुक्तगण को दिये तथा शादी की दिनांक 08.05.2009 तय की व शादी जोगणिया माता मंदिर में होना तय किया एवं नियत दिनांक को प्रार्थी 20–25 व्यक्तियों को लेकर जोगणिया माता के मंदिर पहुंचा व मुल्जिम पूजा उर्फ मैना से शादी की रस्म पूरी की व शादी की सी.डी. बनवायी व विवाह के पश्चात् पूजा उर्फ मैना गांव सादड़ी आ गई व सादड़ी में 7–8 दिन रहने के बाद प्रार्थी अपनी पत्नी को उसके पीहर भीलवाड़ा छोड़कर आया व माण्डे की रस्म अदा की। उसके पश्चात् 4–5 दिन पूर्व वापस भीलवाड़ा गया तो प्रार्थी की पत्नी व उसके माता–पिता ने किराये का मकान खाली कर दिया व सुरेशचन्द्र नाई जाति का होना व पूजा उर्फ मैना विवाहित होकर एक पुत्री की मां होना ज्ञात आया। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण ने मिलकर प्रार्थी से मिथ्या प्रवंचना कर छल कर विवाह किया व रूपये व जेवरात हड़प लिये ..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना रेलमगरा पर प्रकरण संख्या 162/2009 अंतर्गत धारा 419, 420, 120 बी भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रांरभ किया गया तथा अनुसंधान के पश्चात् सहअभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्ण आरोप पत्र एवं प्रार्थिया/अभियुक्ता के विरुद्ध उसके गिरफ्तार नहीं होने से अपूर्ण आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

इस प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर षडयंत्रपूर्वक परिवादी से विवाह कर एवं विवाह के कुछ समय पश्चात् ही उसके रूपये व जेवर हड़प कर फरार हो जाने का आरोप होना बताया गया है। इस प्रकरण में सहअभियुक्तगण के संबंध में पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका था, जबकि प्रार्थिया/अभियुक्ता के गिरफ्तार नहीं होने से उसके विरुद्ध अपूर्ण आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, परंतु अब प्रार्थिया/अभियुक्ता के विरुद्ध भी अनुसंधान पूर्ण होकर चार्जशीट प्रस्तुत हो चुकी है तथा प्रकरण अभी प्रारंभिक स्तर पर है तथा अभी साक्ष्य भी प्रारंभ नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के विचारण एवं निस्तारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता को दिनांक 17.05.2026 को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वह निरन्तर अभिरक्षा में चल रही है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण लम्बित होना बताया

गया है, परंतु उक्त प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता की दोषसिद्धि हुई हो, ऐसा तथ्य अंकित नहीं है तथा साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत 2020 Cr.L.R. (SC) 472 Prabhakar Tewari Vs. State of ut-tar pradesh & Anr. Reported in (2020) 11 SCC 648 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य प्रकरण लंबित होने मात्र से ही जमानत आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समग्र तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी व राय व्यक्त किये बिना, हम प्रार्थीया/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

4. परिणामतः प्रार्थीया/अभियुक्ता माया उर्फ सीता उर्फ मोहनी पत्नी सुरेशचन्द्र सेन, निवासी रतनपुरा, पुलिस थाना आसिन्द, जिला भीलवाड़ा हाल पुलिस लाइन के पीछे भीलवाड़ा, हाल वर्तमान पति सकरा ठाकुर, निवासी 91 मोटोवास, पुलिस थाना अडालज, जिला गांधीनगर (गुजरात) की ओर से पुलिस थाना रेलमगरा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 162/2009 के प्रकरण में, प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से 1,00,000/–रुपये का स्वयं का बंध–पत्र व 50,000–50,000/– रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूति न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् विचारण न्यायालय के समाधानप्रद व संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे और अन्य किसी प्रकरण में वांछित ना हो तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(**अल्का शर्मा**)
सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

आदेश आज दिनाँक **12.06.2026** को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(**अल्का शर्मा**)
सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a
Digitally signed by d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a
Date: 2026.06.22 10:43:19 +05'30'